संख्या-105/2019/2521 ई-2/तेरह-2019-89/2016

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषयः- जनपद गौतमबुद्धनगर में बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र सं.-193/01/आबकारी/एफ.एल.-7 बार/ गौतमबुद्धनगर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 28-11-2019 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-196/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/बारबेक्यू नेशन ओमेक्स/बार अनु./नोएडा, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त **बारबेक्यू नेशन हॅास्पिटलिटी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यलय प्रेस्टीज जेनिथ, तीसरा तल, मैन्युसिपल नं.-8/1, रेजीडेन्सी रोड, रिचमण्ड टाउन, बैगलूरू-560025, कर्नाटका द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''बारबेक्यू नेशन'' द्वितीय तल, ओमेक्स कनाट पैलेस मॉल, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन** देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में आने वाले आगुन्तकों को वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई के अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे, प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-105/2019/2521 ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-196/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/बारबेक्यू नेशन ओमेक्स/बार अनु./नोएडा, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।